संख्या- 176 /2022 / 1899 /चार-2022

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विषय:- जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट में मठ/मन्दिर तरकुलही उर्फ पोखरभिण्ड में रामलीला मंच बाउण्ड्रीवाल और छायाकुंज के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1661/सं0नि0-6(131)/2022-23 टी0सी0 दिनांक 06 अगस्त, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार जनपद गोरखपुर विकास खण्ड भटहट में मठ/मन्दिर तरकुलही उर्फ पोखरभिण्ड में रामलीला मंच बाउण्ड्रीवाल और छायाकुंज के निर्माण हेतु रू0 191.03 लाख (रूपये एक करोड़ इक्यानवे लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

3 - प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(2) आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय का होगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

4 - उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -41- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण -24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 176 /2022 / 1899 (1) /चार-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।